राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हनुमान/श्रवण

नम्बर व तारीख हुक्म	188/2007 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/05/20	लॉकडाउन के पश्चात् [illegible] कार्यालय खुलने से पत्रावली पेश [illegible] लॉकडाउन घोषित किये जाने [illegible] 18/05/20 पत्रावली [illegible] को 29/06/20 नियत [illegible] अनुसार [illegible] नियत की [illegible] पेशी दिनांक 29/06/20 को पेश हो।	
29/6/20	लॉकडाउन के पश्चात् आज [illegible] खुलने से पत्रावली पेश [illegible] घोषित किये जाने [illegible] 29/6/20 को पत्रावली [illegible] 10/8/20 नियत की गयी। [illegible] ऑनलाइन नियत की गयी आगामी पेशी [illegible] 10/8/20 को पेश हो।	
10/8/20	अभिभाषक पक्षकार उपस्थित। आज कन्डोलेंस हो जाने। R.A.A. महोदय [illegible] पर होने/अन्य प्रशासकीय में होने/राजकीय अवकाश होने के कारण मिसल पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/9/20 को पेश हो	
21/09/20	[illegible] उपस्थित। [illegible] हो जाने। R.A.A. [illegible] पर होने/अन्य [illegible] होने/राजकीय अवकाश होने के कारण मिसल पूर्व आदेशानुसार दिनांक 02/11/20 को पेश हो	
02/11/20	अभिभाषक पक्षकार उपस्थित। आज कन्डोलेंस हो जाने। R.A.A. महोदय अवकाश पर होने/अन्य प्रशासकीय में होने/राजकीय अवकाश होने के कारण मिसल पूर्व आदेशानुसार दिनांक 04/01/21 को पेश हो	
04/11/20	अपील/रिस्पो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई पर आज यह पत्रावली कार्यालय से तलब होकर पेश हुई। अपील/रेस्पो मय अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट की	हनुमान [illegible] 4.11.20

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
188/2001	हनुमान / श्रवण

ओर से अधिवक्ता श्री पी के मीणा ने वकालतनामा पेश किया एवम् अपीलान्ट स्वयं भी उपस्थित हुआ। अपीलान्ट एवम् रेस्पो.स. ने अपने अभिभाषकगणों के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस 225 RTAct से सम्बन्धित मूल वाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष खारिज हो चुका है जिससे यह अपील अब सारहीन हो गयी है। अतः यह अपील सारहीन हो जाने से खारिज फरमाई जावे। उभयपक्षों के कथनानुसार एवम् प्रार्थना पत्र 151 जाप्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से इस 225 RTAct की अपील से सम्बन्धित मूल वाद अब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तिम रूप से निस्तारित हो चुका है। अतः ऐसमे यह अपील अब सारहीन हो गई है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से खारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर